



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

वेब-urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/3715

दिनांक:- 24/08/2022

कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 07/2022 की बैठक (जोन उत्तर) दिनांक 24.08.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (24.08.2022)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 06/2022 की बैठक (जोन उत्तर) दिनांक 21.07.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02 :- (24.08.2022)

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
24.08.2022	उत्तर	आंगणवा	98	159.13 बीघा में से 63.00.00 बीघा	व्यवसायिक योजना
आवेदक	प्राधिकरण की व्यवसायिक योजना				
विषय:-	राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 रकबा 159.13 बीघा में से 63.00.00 बीघा में व्यवसायिक योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार वाणिज्यिक योजना के 04 है0 से अधिक क्षेत्रफल होने पर 100 फीट पहुंच मार्ग आवश्यक होने तथा नियोजन की दृष्टि के फलस्वरूप सुरपुरा बाईपास से आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में विद्यमान सडक का मार्गाधिकार 60 फीट के स्थान पर व्यापक जनहित में 100 फीट रखा जावे, लेकिन पूर्व कमिटमेंट्स को यथावत रखे जाने के पूर्ण प्रयास किये जावे। उक्त मार्गाधिकार को 100 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 100 फीट रखते हुए सडक मध्य से 50 फीट भूमि आरक्षित करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति का नियमानुसार निस्तारण कर अग्रिम कार्यवाही की जावे। उक्त योजना की क्रियान्विति के समय पानी के सुगम निकास की व्यवस्था, वर्षा जल संरक्षण इत्यादि की उचित व्यवस्था किए जाने हेतु अभियान्त्रिकी शाखा को निर्देशित किया गया। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(8/08/24/2022)

उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/ 3316-3821

दिनांक:- 24/08/2022

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, (आयुक्त महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, (सचिव महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-1

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 07/2022 की बैठक (जोन उत्तर) दिनांक 24.08.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री अवधेष मीणा, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जयनारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य सचिव |
| 7. प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक जो.वि.प्रा. जोधपुर | |
| 8. श्री मोहम्मद अफाक, कनिष्ठ अभियंता, जो.वि.प्रा. जोधपुर | |

उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर